राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 15 दिसम्बर, 1990 को कृषि अनुसंधान निदेशालय, दुर्गापुरा-जयपुर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवृत :-

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डा. एस. एन. सक्सेना — अध्यक्ष
2. श्री एम. एल. मेहता
3. श्री. सी. एस. राजन
4. डा. सुधीर वर्मा
5. श्री पी. एस. भार्गव (शिक्षा सचिव के प्रतिनिधि)
6. डा. टी. पी. ओझा
7. श्री आचार्य हरेश सी. सांवरिया
8. श्री रघुवीर सिंह कौशल
9. डा. पी. आर. जटकर
10. डा. बी. एल. बसेर
11. डा. के. बी. शर्मा
12. श्री टी. पन्त
13. डा. के. के. जैन
14. डा. वी. बी. सिंह
15. डा. गोकुल सिंह शेखावत
16. श्री सुनील धारीवाल — सदस्य सचिव

डा. पाण्डे बी. बी. लाल व श्री राम गोपाल चौधरी ने बैठक में भाग नहीं लिया ।

कुलपति महोदय ने डा. टी. पी. ओझा द्वारा बैठक में प्रथम बार भाग लेने पर स्वागत किया ।

राकृवि/प्रबो-19/ 90-5/272 — प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 28. 11. 90 के कार्यवृत की पुष्ठि पर विचार किया गया ।

कुल सचिव महोदय ने माननीय सदस्यों को बताया कि यह मद बैठक की कार्यसूचि में इसलिए सम्मिलित नहीं किया गया था क्योंकि कार्यवृत माननीय सदस्यों को हाल ही प्रेषित किया गया हैं अत: उसका सही अवलोकन नहीं हो पाया हैं । इस पर माननीय सदस्यों का मत था कि कार्यवृत को निम्न टिप्पणी के साथ यदि अगले पांच दिन में और कोई प्रतिक्रिया (सुझाव) संशोधन प्राप्त नहीं होते हैं तो पुष्टि किया गया माना जाय ।

.....2.

अ) मद संख्या 253(अ) निर्णित किया गया कि:-

1) डा. एच. सी. के. माथुर द्वारा चिकित्सा हेतु उठायी गई अग्रिम राशि में बिना खर्च की गई राशि को पुन: कोष में 6 माह के पश्चात जमा कराई उस पर 12 प्रतिशत ब्याज(कुल राशि 1,12,506/- का) ब्याज राशि 6,750/- वसूल की जावे ।

2) खर्च की गई वह राशि जो उनके द्वारा शत प्रतिशत पुनर्भरण हेतु स्वीकृत समझ कर जमा नहीं कराई है उस राशि का 20 प्रतिशत राशि पर (क्योंकि 80 प्रतिशत राशि का ही चिकित्सा पुनर्भरण स्वीकृत किया गया है । अत: बाकि बची 20 प्रतिशत राशि पर भी 12 प्रतिशत ब्याज वसूल कर सम्पूर्ण राशि जमा कराने को कहा जाय । (उनके द्वारा खर्च की गई राशि जिसे वह शत प्रतिशत पुनर्भरण मानकर जमा नहीं कराई वह राशि रूपये 30,521/- ब्याज के साथ वसूल की जावे) ।

श्री माथुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के पूर्व निर्णय को विलोपित किया जावे ।

ब) म. संख्या 254 अधिष्ठाता परिषद की बैठक दिनांक 14. 6. 90 के कार्यवृत की म. संख्या 5-2 चिकित्सा सुविधाओं के बारे में हैं माननीय सदस्यों का मत रहा कि कर्मचारियों/अधिकारियों/अध्यापकों द्वारा अधिकतम रू. 1000/- से अधिक के कितने चिकित्सा पुनर्भरण बिल, चाहे वे निजी चिकित्सा केन्द्र के हैं अथवा राजकीय चिकित्सा केन्द्र के, अलग-अलग विश्लेशित कर आंकडे मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करें । आंकड़ों को प्रस्तुत करते समय व्यक्तिगत उठाई गई राशि भी इंगित हो ।

.....3.

स) अधिष्ठाता परिषद् की बैठक दिनांक 14. 6. 90 की मद संख्या 10-)1):-

कुल सचिव ने मण्डल को अवगत कराया कि केज्यूअल कर्मचारियों पर किये जाने वाला व्यय बढ़ता जा रहा है और उपलब्ध संसाधनों में से ही कार्य को सम्पादित करने की आवश्यकता पर अभी तक जोर नहीं दिया गया है । अतः यह निर्णय लिया गया कि उन सभी श्रमिकों को, जिन्होंने अब तक एक वर्ष में 240 दिन की सेवा अवधि पूरी नहीं की है, सेवा से पृथक कर दिये जावे । यह कार्य प्रत्येक यूनिट अपने स्तर पर आदेश जारी कर पूरा करें ।

राकृवि/प्रबो-19/ 90-5/273

दिनांक 14 दिसम्बर, 1990 को शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित स्थापना समिति की बैठक के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि स्थापना समिति की बैठक के कार्यवृत की मद संख्या राकृवि/स्थास/90-6/56 के अतिरिक्त निम्न टिप्पणी के साथ अनुमोदित किया जावे ।

अ) मद संख्या राकृवि/स्थास/90-6/52 की अनुशंसा संख्या)1) की द्वितीय पंक्ति में वर्णित मेजर पेनल्टी शब्द को विलोपित कर पढ़ा जाय ।

ब) कुलपति महोदय ने सदस्यों को बताया कि चयन समितियों के गठन के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं भारतीय तकनीकि संस्थान के सदस्यों के मनोनयन मण्डल द्वारा किया जाना है पर क्योंकि सूचना अपूर्ण है और मण्डल की अगली बैठक में समय लग सकता है अतः निर्णय लिया गया कि कुलपति महोदय को अधिकृत किया जावे कि उक्त दोनों स्थानों से प्राप्त सूचि में से चयन समिति हेतु नामांकन करें ।

.....4.